

प्राचार्य,
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय,
उदयपुर।

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 की क्रियान्विति हेतु महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के पदों की पूर्ति के संबंध में।

संदर्भ:- आपके पत्र क्रमांक 2247 दिनांक 16.04.2018 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प. मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर हेतु प्रसूति स्त्री रोग एवं रोग निदान विभाग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 05-05 स्थानों पर प्रवेश/मान्यता हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के न्यूनतम मानकों की पूर्ति हेतु महाविद्यालय के स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर अध्यापन हेतु प्रोफेसर अथवा एसो. प्रोफेसर एवं लेक्चरर को कार्यव्यवस्थार्थ लगाने संबंधी प्राप्त प्रस्तावों का प्रशासनिक अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार अग्रिम आदेश अथवा पद भरने तक जो भी पहले हो के लिये लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	चिकित्साधिकारी का नाम	पदस्थापन स्थान	कार्यव्यवस्थार्थ लगाने का स्थान
1.	डॉ. दीक्षा खतुरिया (प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विषय में स्नातकोत्तर उपाधिधारी)	राजकीय आयुर्वेद औषधालय, उम्मेवाला, जिला हनुमानगढ़	पं. मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर (लेक्चरर पद विरुद्ध)
2.	डॉ. योगेश्वर कृष्ण पंडित (रोग निदान विभाग में स्नातकोत्तर उपाधिधारी)	राजकीय आयुर्वेद औषधालय, भीम, जिला राजसमन्द	पं. मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर (लेक्चरर पद विरुद्ध)
3.	डॉ. विद्या कुमारी मीणा (रोग निदान विभाग में स्नातकोत्तर उपाधिधारी)	राजकीय आयुर्वेद औषधालय, करजू, जिला प्रतापगढ़	पं. मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर (लेक्चरर पद विरुद्ध)

उक्त स्वीकृति संबंधित अधिकारी के प्रार्थना पत्र के अनुसार जारी की जा रही है।

रोग निदान विभाग :-

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग से एसो. प्रोफेसर-रोग निदान पद पर चयनित डॉ. पंकज मरोलिया को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के नियमानुसार संबंधित विषय में 10 वर्ष से अधिक का अध्यापन अनुभव होने से प्रोफेसर-रोग निदान पद के अध्यापन कार्य हेतु पद विरुद्ध लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1)
(कुन्दन कुमार माथुर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
4. कार्यालय, राजपत्रित शाखा।
5. रक्षित पत्रावली

(फुलचन्द मीणा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

क्रमांक प.1/प्रति1/चिकि./स्थाना./2018/15725-34

दिनांक 3-8-18

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्राचार्य राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर।
2. अति. निदेशक आयुर्वेद विभाग बीकानेर/उदयपुर।
3. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जिला हनुमानगढ़/राजसमन्द/प्रतापगढ़ को देकर लेख है कि सम्बन्धितों को तत्काल कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त करे।
4. प्रोग्रामर निदेशालय आयुर्वेद विभाग को देकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे एवं संबंधित कार्यालय को जरिए ई-मेल
5. संबंधित को द्वारा उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जिला हनुमानगढ़/राजसमन्द/प्रतापगढ़।

(स्नेहलता पंवार)
निदेशक